प्रेस नोट- रामचन्द्र मिशन

जनपद शाहजहाँपुर पुलिस

सराहनीय कार्य दिनाँक – 19.09.2026

“थाना रामचन्द्र मिशन पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रयास में वांछित अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ के दौरान किया गया गिरफ्तार, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद”

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में, श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक थाना रामचन्द्र मिशन के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रामचन्द्र मिशन पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 18.09.2026 को वादी श्री पंकज पुत्र पुत्तूलाल, निवासी मो0 बाकरजई, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना रामचन्द्र मिशन पर मु0अ0सं0 177/26 धारा 333/109(1) बीएनएस बनाम 1. शिब्बू उर्फ आलम पुत्र बाबू निवासी मो0 किला, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहाँपुर, 2. नईम पुत्र अनीश खां निवासी मो0 तारीन गाड़ीपुरा, थाना रामचन्द्र मिशन, जनपद शाहजहाँपुर तथा अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध वादी के भाई नीरज के घर में घुसकर जान से मारने की नियत से चाकू से वार कर गंभीर रूप से घायल करने के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त आजम उर्फ शिब्बू पुत्र बाबू, निवासी मो0 किला, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहाँपुर, उम्र करीब 37 वर्ष की दिनांक 19.09.2026 को गिरफ्तारी हेतु तलाश/चेकिंग के दौरान हरदोई चौराहे से सीतापुर की ओर शिव मंदिर के सामने पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त अपनी अपाचे मोटरसाइकिल से बरेली मोड़ की ओर से सीतापुर की तरफ जा रहा है। पुलिस टीम द्वारा मोटरसाइकिल को रोकने का इशारा किया गया, जिस पर अभियुक्त मोटरसाइकिल को बाडीगांव की ओर जाने वाले रास्ते पर मोड़कर भागने लगा। मोटरसाइकिल असंतुलित होकर गिरने के बाद अभियुक्त द्वारा तमंचा निकालकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ नियंत्रित फायरिंग की गयी, जिसमें अभियुक्त के दाहिने पैर में घुटने के नीचे गोली लगी। पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर समय 13:17 बजे अभियुक्त आजम उर्फ शिब्बू को गिरफ्तार कर लिया गया। घायल अभियुक्त के पैर से हो रहे रक्तस्राव को रोकने हेतु तत्काल कपड़ा बांधकर प्राथमिक जीवनरक्षात्मक सहायता प्रदान की गयी तथा उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा .315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस .315 बोर तथा 01 अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया। मौके से अभियुक्त के कब्जे में प्रयुक्त अपाचे मोटरसाइकिल भी बरामद की गयी। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा दिनांक 18.09.2026 की रात्रि मो0 ख्वाजा फिरोज में नीरज के घर जाकर अपने साथी नईम पुत्र अनीश खां के साथ मिलकर नीरज पर चाकू से वार करना स्वीकार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से बरामद तमंचा एवं कारतूस के आधार पर अभियोग में धारा 324(4) बीएनएस एवं धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम की वृद्धि की गयी है। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

आजम उर्फ शिब्बू पुत्र बाबू नि0मो0 किला, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहाँपुर, उम्र 37 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 177/26 धारा 333/109(1) बीएनएस, थाना रामचन्द्र मिशन, जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक/समय-

दिनांक 19.09.26 समय 13.17 बजे, बरेली मोड से सीतापुर की तरफ जाने वाले रास्ते से बाडीगांव की तरफ जाने वाले रास्ते पर

गिरफ्तार अभियुक्त शिब्बू उर्फ आलम का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० - 177/26, धारा 333/109(1) बीएनएस, थाना रामचन्द्र मिशन, जनपद शाहजहाँपुर।
2. मु०अ०सं० - 354/18, धारा 498ए/323 भादवि, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहाँपुर।
3. मु०अ०सं० - 203/26, धारा 60 आबकारी अधिनियम, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहाँपुर।
4. मु०अ०सं० - 381/15, धारा 279/304ए/338 भादवि, थाना परशुरामपुरी, जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक हरीश कुमार, थाना रामचन्द्र मिशन, जनपद शाहजहाँपुर।
2. उ0नि0 संत कुमार राठी, थाना रामचन्द्र मिशन, जनपद शाहजहाँपुर।
3. उ0नि0 सुनील कुमार मौर्य, थाना रामचन्द्र मिशन, जनपद शाहजहाँपुर।
4. का0 यतेन्द्र कुमार, थाना रामचन्द्र मिशन, जनपद शाहजहाँपुर।
5. का0 रिंकू चौहान, थाना रामचन्द्र मिशन, जनपद शाहजहाँपुर।